



Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय  
Government of India | भारत सरकार



## “सहकार से समृद्धि”

### सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलें (6 जुलाई 2021-10 अक्टूबर 2023)

#### (क) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढीकरण

##### 1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि पैक्स जब बहु-उद्देशीय होंगी तभी वो और अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होंगी। इसके लिए उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई। इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक

नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

## **2. पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण**

PACS की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत की गई। इस पहल के अंतर्गत कुल 63,000 क्रियात्मक PACS/ LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 24 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 62,208 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हार्डवेयर खरीद, डिजिटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु कुल 440.31 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। NABARD द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विश्वास है कि इससे PACS में पारदर्शिता आएगी जिससे लोगों की पैक्स में विश्वसनीयता बढ़ेगी।

## **3. प्रत्येक पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति (2 लाख नई समितियों) की स्थापना**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न किये गए पंचायत/ गाँवों में 2 लाख नए बहु-उद्देशीय PACS/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति बनाई गई हैं। माननीय सहकारिता मंत्री जी के निर्देशानुसार मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के साथ बैठके की जा रही हैं। नई समितियों की स्थापना के लिए सम्बंधित कार्य योजना नाबार्ड, NDDB व NFDB द्वारा बनाई गई है एवं इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

#### **4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 31 मई, 2023 को कैबिनेट द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस योजना पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाज की होने वाली बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी एवं पैक्स स्तर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वन के लिए राज्यों के सहयोग से 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 24 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनमें से 12 राज्यों में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इस योजना को अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

#### **5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स**

PACS द्वारा CSC की सेवाएं दिए जाने हेतु सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिसके बाद CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पैक्स भी दे सकेंगी। अभी तक 25 हजार से अधिक पैक्स को CSC के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है एवं अन्य पैक्स को भी ऑनबोर्ड करने का कार्य प्रगति पर है। ऑनबोर्ड हुए पैक्स को CSC-SPV एवं नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है एवं 14,000 से अधिक पैक्स CSC के रूप में कार्य शुरू कर चुकी है। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से किया गया।

## **6. पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs)का गठन**

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स FPO के रूप में कृषि सम्बंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 14 जुलाई, 2023 को IECC, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से किया गया।

## **7. पैक्स की LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता**

पैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय संकल्पित भाव से कार्य कर रहा है। पैक्स को LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं, जिससे पैक्स LPG का वितरण भी कर सकेंगी। पैक्स द्वारा LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के दिशानिर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। इससे PACS को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

## **8. पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति**

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमति दी है। पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने हेतु भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं जिसकी अंतिम तिथि 17.10.2023 है। इस प्रावधान से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

## **9. पैक्स को नये पेट्रोल/डीज़ल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता**

साथ ही पेट्रोल डीलरशिप के लिए भी पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी। OMC/पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पैक्स के Combined Category 2 (CC-2) के अंतर्गत आवेदन के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। पैक्स को नये पेट्रोल/डीज़ल पंप के आवंटन हेतु भारत सरकार ने

ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं जिसकी अंतिम तिथि 17.10.2023 है। इन प्रावधानों से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

### **10. ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में अगस्त, 2023 तक 1,000 एवं दिसम्बर, 2023 तक 2,000 चिन्हित पैक्स पर जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। इससे ग्रामीण/ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जन औषधि केंद्र हेतु 3806 पैक्स द्वारा आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 2000 पैक्स को प्राथमिक अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।

### **11. उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स**

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया। उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में मान्यता देने हेतु 15,000 सहकारी समितियों को लाइसेंस दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

### **12. पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन**

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, पहले से उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में कार्यरत पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन (Upgradation) करने का निर्णय लिया गया। पैक्स को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इससे पैक्स के लिए व्यवसाय के नये अवसर सृजित होंगे तथा उनके मुनाफे में वृद्धि होगी।

### **13. नाबार्ड के सहयोग से बैंक मित्र सहकारी समितियों को Micro-ATMs**

डेयरी और मत्स्यपालन जैसी सहकारी समितियों को भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का बैंक मित्र बनाया गया है। इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 जुलाई, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से हुई, जिसमें पंचमहल और बनासकांठा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के धारकों को यह कार्ड सौंपे गए। इसे देशव्यापी स्तर पर लागू करने का लक्ष्य है। अभी तक 1723 से अधिक Micro-ATMs वितरित किये जा चुके हैं।

### **14. सहकारी समिति के सदस्यों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड**

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुँच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रामीण सहकारी समिति के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलब्ध कराने हेतु गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के बैंक खाते संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं तथा खाताधारकों को नाबार्ड के सहयोग से Rupay किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी समिति के सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। सदस्य इस कार्ड का प्रयोग अन्य वित्तीय भुगतान के लिए भी कर सकेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट का देशव्यापी विस्तार करने की योजना है। अभी तक 53,000 KCC वितरित किये जा चुके हैं।

### **15. पानी समिति के रूप में पैक्स**

पैक्स की ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पहुँच के लाभ का उचित उपयोग करने हेतु सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पैक्स को भी पानी समिति के रूप में पाइपड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (O&M) का कार्य करने हेतु पात्र बनाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में, जल आपूर्ति योजनाओं के O&M का कार्य सुदृढ़ होगा तथा पैक्स को रोजगार के नये अवसर भी मिलेंगे।

## **16. पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण**

PACS की संरचना व इनकी गहरी पहुँच, जिनसे 13 करोड़ से अधिक किसान बतौर सदस्य जुड़े हैं, का लाभ पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इससे, PACS से जुड़े किसान कृषि डीजल पंपों को सौर कृषि जल पंपों से बदल सकते हैं एवं अपनी ज़मीनों की परिधि पर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल स्थापित कर अपनी उर्जा-सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे व इससे योजना की पहुँच को अंतिम मील तक पहुँचाया जा सकेगा। साथ ही, PACS व उनके सदस्य किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होंगे। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा concept note तैयार कर MNRE को भेजा गया और इस प्रस्ताव पर माननीय नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्री जी के साथ सचिव (सहकारिता) की बैठक हो चुकी है।

### **(ख) सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत**

## **17. सहकारी समितियों के लिए आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती**

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कोआपरेटिव को कंपनियों के समान लाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बड़ा कार्य किया है। 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों के ऊपर आयकर के भार में कमी होगी जिससे समिति के पास सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

## **18. सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती**

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है। इससे सहकारी समितियां सशक्त होंगी एवं सहकारिता का विस्तार होगा।

## **19. पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी**

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य

कर दी गई है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुगमता आएगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा ।

## **20. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती**

31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा । इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है । इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा मिलेगा ।

## **21. नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कटने वाले कर में बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु कर पाएंगे।

## **22. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नगद लेनदेन में राहत**

पहले आयकर विभाग द्वारा, दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए गए अनुबंध को एक घटना ( event) मानते हुए उस डिस्ट्रीब्यूटर से दुग्ध समिति द्वारा पूरे साल भर में प्राप्त दो लाख से अधिक की नकद प्राप्ति पर धारा 269ST के तहत आयकर पेनाल्टी लगा दिया जाता था। इस स्पष्टीकरण के बाद दुग्ध सहकारी समितियों का उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए अनुबंध को एक घटना (event) नहीं माना जायेगा और दुग्ध समिति द्वारा उस डिस्ट्रीब्यूटर से हर लेन-देन को अलग घटना मानकर उस प्रत्येक लेन -देन से दो लाख की नगद प्राप्ति पर आयकर कानून के तहत जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। सहकारी समितियों को अब अपने वितरकों के साथ किए गए 2 लाख से अधिक के नगद लेन -देन के लिए पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा । इससे राज्य व जिला दुग्ध संघ, बैंकों में अवकाश के दौरान अपने वितरकों से नकद में भुगतान लेकर सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेंगे । इससे सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता होगी ।



## **(ग) सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण**

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से सहकारी बैंकों को उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

- 23.** बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।
- 24.** सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंको की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।
- 25.** शहरी सहकारी बैंको को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है।
- 26.** शहरी सहकारी बैंकों से नियमित संवाद के लिए RBI में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- 27.** RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने के अनुमति दी है।
- 28.** RBI द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।
- 29.** ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट - रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार विविधिकरण हो सकेगा।
- 30.** सहकारी बैंकों को CGTMSE के सदस्य ऋणदाता संस्थान [MLI] के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम (Risk) कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलेटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।
- 31.** सहकारी बैंकों की आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री-प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगर प्रिंट पर मिल सकेगी।

### **32. सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है**

ऐसे शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि पिछले दो वर्ष तक बनाए रखे हों, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने और 'अनुसूचित' स्थिति प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं। अभी कुल 84 बैंक टियर 3 तथा टियर 4 के रूप में वर्गीकृत हैं।

**33.** आरबीआई ने बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। ऐसे यूसीबी इसके पात्र होंगे जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

### **(घ) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान**

#### **34. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**

सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अपने सदस्यों को गन्ने का उच्चतर मूल्य दे सकेंगी और इस उच्चतर मूल्य के खर्च पर आयकर से कटौती हासिल कर पायेंगी। 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रावधान 01.04.2016 से लागू है और तब से सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से उनके सदस्य किसानों को यह लाभ मिल रहा है।

#### **35. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अथक प्रयासों से दशकों से लंबित आयकर सम्बन्धी मुद्दों का निवारण करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत

प्राप्त होगी। इसके लिए आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) को सम्मिलित किया गया है। CBDT ने 27.07.2023 को इस सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है।

### **36. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना**

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए NCDC को अनुदान सहायता' नाम की एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 2022-23 से 2023-24 तक के लिए NCDC को रुपए 1,000 करोड़ का अनुदान दे रही है। NCDC इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को रुपए 10,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए करेगी। जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलें इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए या कोजेनेरेशन प्लांट लगाने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनों कार्यों के लिए कर पाएंगी। अभी तक, NCDC द्वारा 18 सहकारी चीनी मिलों के लिए 1,909 करोड़ रुपए अनुमोदित किये जा चुके हैं।

### **37. सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना**

इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कंपनियों के समतुल्य रखा जाएगा। गन्ने की खोई (Bagasse/बगास) से कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों के व्यवसाय का विस्तार होगा एवं लाभ में वृद्धि होगी।

### **38. सहकारी चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया**

सरकार ने शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटा कर 5% करने का निर्णय लिया है। इससे डिस्टिलरीज की लिक्विडिटी में वृद्धि होगी क्योंकि शीरा उनके संचालन के लिए कच्चा माल है। कम जीएसटी के कारण उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। सहकारी चीनी मिल जिनके पास इथेनॉल अथवा डिस्टिलरी प्लांट नहीं है वह अपने शीरे को अधिक मार्जिन के साथ डिस्टिलरीज को बेच कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

### **(ड) राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियाँ**

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने निर्यात, प्रमाणित बीजों और आर्गेनिक उत्पादों के लिए तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया।

### **39. निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। किसानों के उत्पादों का निर्यात सुलभ होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी। इस समिति का सदस्य बनने के लिए [coopexports@gmail.com](mailto:coopexports@gmail.com) पर संपर्क किया जा सकता है। अभी तक सदस्यता के लिए 542 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कॉमर्स विभाग द्वारा NCEL को विभिन्न देशों (भूटान, सिंगापुर एवं मारीशस) को 1,43,000 MT सफेद चावल (गैर बासमती) के निर्यात का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

### **40. प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य बन सकती हैं। इस समिति से किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता एवं किसान को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी। इस समिति का सदस्य बनने के लिए [coopbeej@gmail.com](mailto:coopbeej@gmail.com) पर संपर्क किया जा सकता है। अभी तक सदस्यता के लिए 5100 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

### **41. जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की

सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा एवं किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी। इस समिति का सदस्य बनने के लिए [cooporganics@gmail.com](mailto:cooporganics@gmail.com) पर संपर्क किया जा सकता है। अभी तक सदस्यता के लिए 736 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

### **(च) सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण**

#### **42. सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना**

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विचार है कि प्रशिक्षित श्रमबल से ही सहकारिता क्षेत्र का सुनियोजित विकास और सशक्तिकरण हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी। सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा कार्मिकों की क्षमता निर्माण भी करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

#### **43. सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना**

सहकारी समितियों को मजबूत आर्थिक संस्था बनाने, सहकारी आंदोलन को व्यापक और मजबूत करने, वैमिक्कॉम, एनसीसीटी और जेसीटीसी की faculty का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, मौजूदा क्रियाशील सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के भौतिक और आईटी बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करना, इत्यादि के लिए इस योजना की आवश्यकता है। इस संबंध में, हितधारक परामर्श किए जा चुके हैं एवं योजना का मसौदा तैयार किया गया है।

#### **44. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन**

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो राज्यों/UTs के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मिकों, सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का संचालन यह देश भर में फैले अपने 20 घटक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करता है जिसमें वैमनीकॉम (वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान) एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय स्तर के और 14 राज्य स्तर के संस्थान हैं। NCCT ने वर्ष 2022-23 में संपूर्ण देश में सहकारी प्रतिभागियों, कामगारों तथा पेशेवरों के लिए निर्धारित लक्ष्य 1740 प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में 3287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा इस अवधि में परिषद ने निर्धारित 43,500 प्रतिभागियों से पांच गुना अधिक यानी लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। सहकारी समितियों के लिये स्थानीय भाषाओं में व्यावसायिक विकास योजना (मौजूदा DPRs पर आधारित) NCCT के माध्यम से बनाई जा रही है।

### **(छ) नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस**

#### **45. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश में नई सहकारिता नीति बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों सहित 49 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अब तक 17 बैठकें हो चुकी हैं, जिनके दौरान हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श हुए हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

#### **46. नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है किसी भी सहकारी क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के लिए एक डेटाबेस आवश्यक है। इसी दिशा में सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, एक व्यापक, प्रमाणिक और अद्यतित राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत पैक्स, डेयरी एवं मत्सयिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग का कार्य फरवरी, 2023 में पूर्ण किया गया। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों व संघों की

Mapping का कार्य किया गया। अंतिम चरण में अब तक लगभग 7.86 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में सम्मिलित किया जा चुका है।

### **(ज) जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल**

**47.** माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 जून, 2022 को कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने का अनुमोदन प्रदान किया है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया। सहकारी समितियां जेम के एकल प्लेटफॉर्म से देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकेंगी। अब तक 550 से अधिक सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड कर लिया गया है। इसके साथ ही सहकारी समितियों को जेम पर विक्रेता के रूप में भी पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

### **(झ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार**

#### **48. एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के लिए ऋण की नई योजनाएं**

एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार' ; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' ; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,025 करोड़ रुपए (अंतिम) की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जो कि 2021-22 के संवितरण 34,221 करोड़ रुपए से लगभग 20% अधिक है। सहकारिता क्षेत्र में आवश्यक धन राशि के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में NCDC की कार्य दक्षता और भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए ऋण संवितरण को बढ़ा कर प्रति वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की परिकल्पना है। सभी राज्य एवं राज्यों की सहकारी समितियां NCDC की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं।

#### **49. भारत सरकार द्वारा NCDC को 2000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी**

भारत सरकार ने सरकारी गारंटी के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने के लिए, निर्दिष्ट शर्तों के पालन के अधीन, मंजूरी दी है। अब

NCDC अपेक्षाकृत कम दरों पर अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वितरित कर सकेगा।

## **(ज) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढीकरण**

### **50. सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण**

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इससे केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग करने में सहायता मिलेगी। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, VC के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के प्रावधान होंगे। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा इस डिजिटल पोर्टल का उदघाटन 06 अगस्त, 2023 को किया गया।

### **51. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023**

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करता है। उक्त विधेयक को लोक सभा में दिनांक 7 दिसम्बर 2022 को पुरःस्थापित किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 25 जुलाई, 2023 एवं राज्यसभा द्वारा 01 अगस्त, 2023 को पारित किया गया। 3 अगस्त, 2023 से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो गया है।

## **(ट) अन्य पहलें**

### **52. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण**

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है।



इसमें विभिन्न घटक होंगे जैसे कि हार्डवेयर खरीद, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का रखरखाव आदि। इस योजना में आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत ARDBs द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण से ARDBs को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कार्यकुशलता में वृद्धि, त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन दरों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और भुगतानों के असंतुलनों में कमी इत्यादि।

### **53. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना**

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के लिए व्यापार में सुगमता बढ़ाने एवं पारदर्शी पेपर रहित विनियमन का एक डिजिटल इकोसिस्टम सभी राज्यों/संघ प्रदेशों में बनाने के लिए राज्य पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर, संबंधित राज्य/संघ प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा।

### **54. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लि., सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया संवितरण हेतु सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिए।

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई को नई दिल्ली में 'केन्द्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल' (<https://mocrefund.crcs.gov.in>) का शुभारंभ किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय पंजीयक द्वारा संवितरण के लिए पूर्व न्यायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी एवं अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र के पर्यवेक्षण और

निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (पोर्टल) को विकसित करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. (SDMSL) की सेवाएं ली गई हैं। केंद्रीय पंजीयक द्वारा रिफंड प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए चार विशेष कार्याधिकारियों (OSDs) को भी नियुक्त किया गया है। जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 04 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ हो चुकी है। सितंबर तक 'केन्द्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल' पर 1.04 करोड़ जमाकर्ताओं से 72,756 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के 48,327 जमाकर्ताओं को 44.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

## क्रियान्वयन प्रक्रिया

सहकारिता मंत्रालय ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर इन पहलों के क्रियान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय क्रियान्वयन तंत्र तैयार किया है।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक हो चुकी है।

माननीय सहकारिता गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मंत्रालय की पहलों के सफल क्रियान्वयन हेतु पत्र लिखे गए हैं।

सचिव सहकारिता द्वारा भी समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में सभी सम्बंधित विभागों, एजेंसीज़ एवं राज्य सरकारों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। अब तक सभी राज्यों के साथ 09 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा हेतु राज्य सहकारी विकास समितियां (एससीडीसी) गठित की गई हैं, जिनमें प्रमुख सचिव (सहकारिता), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (आरसीएस), नाबार्ड/एनसीडीसी आदि के प्रतिनिधि और सम्बंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 23 राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा हेतु जिला सहकारी विकास समितियों (डीसीडीसी) गठित की गई हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार (डीआरसीएस) और सम्बंधित विभागों के जिला स्तर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अब तक 763 जिलों में से 656 जिलों द्वारा जिला स्तरीय सहकारी विकास समितियों की बैठकें की जा चुकी हैं।

पहलों और संबंधित योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नाबार्ड [www.nabard.org], NDDDB [www.nddb.coop] और NCDC [www.ncdc.in] से संपर्क किया जा सकता है।

साथ ही अधिक जानकारी के लिए राज्यों के सहकारिता विभाग के सचिव, राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और संबंधित जिले के जिला सहकारी रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है।

इन सभी पहलों की जानकारी सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसके लिए आप <https://cooperation.gov.in> पर विजिट कर सकते हैं।

मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करे -

